

243

67

Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
The Group 'A' Departmental Confirmation Committee for considering confirmation:-	Consultation with Union Public Service Commission necessary.
(1) Director, North Eastern Police Academy, Meghalaya - Chairman	
(2) Joint Director, North Eastern Police Academy, Meghalaya - Member	
(3) Deputy Director, North Eastern Police Academy, Meghalaya - Member	

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.	Computer Programmer	1* (2017) Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'B' Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level-7 (Rs. 44,900 - 1, 42,400)	Not applicable

(6)	(7)
<p>Not exceeding 30 years</p> <p>(Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).</p> <p>Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).</p>	<p>(i) Master's Degree in Computer Application or Information Technology or Computer Science of a recognised University or Institute;</p> <p>or,</p> <p>Bachelor of Engineering or Bachelor of Technology in Computer Engineering or Computer Science or Computer Technology or Computer Science and Engineering or Information Technology from a recognised University or Institute.</p> <p>Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or the Competent Authority, for reasons to be recorded in writing in the case of candidates otherwise well qualified.</p> <p>Note 2: The qualification(s) regarding experience is / are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or the Competent Authority, for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the Staff Selection Commission or the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.</p>

(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Two years.	By direct recruitment. Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of the Central Government.

(11)	(12)	(13)
Not applicable	Group 'B' Departmental Confirmation Committee for considering confirmation:- (1) Director, North Eastern Police Academy, Shillong - Chairman (2) Joint Director, North Eastern Police Academy, Shillong - Member (3) Deputy Director, North Eastern Police Academy, Shillong - Member	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. 23012/41/2015-PC]

AJAY KUMAR SINGH, Under Secy.

नई दिल्ली, 12 दिसम्बर, 2017

सा.का.नि. 435.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गृह मंत्रालय के अधीन सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद में उप निरीक्षक (आउटडोर) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :-

(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम — सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, उप निरीक्षक (आउटडोर) भर्ती नियम, 2017 है।

(ii) ये, राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर — पद की संख्या, उसका वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि — भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता — वह व्यक्ति —

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति, जिसका पति या पत्नी जीवित हैं, से विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति — जहां केन्द्रीय सरकार की राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध कर इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति — इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबन्ध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, मूलपूर्व सेनिकों, अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उप निरीक्षक (आउटडोर)	03* (2017) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर 5 (29200-92300/-रु.)	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।